॥ ॐ ॥

सुसंस्कार ! सुशिक्षा !! सुस्वास्थ्य !!!

बालाजी महिला महाविद्यालय

(राजस्थान सरकार द्वारा स्थाई मान्यता एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा सम्बद्धता प्राप्त)

मैनपुरा, सवाई माधोपुर पिन - 332027

फोन नं. 07462-253113, 253442

विवरणिका

E-mail : balajicollege07@gmail.com

परिचय

राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित सवाई माधोपुर जिला अपनी प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा का धनी, राजाहम्मीर के हठ, उसकी शौर्य गाथा का प्रतीक रणथम्भौर दुर्ग है। प्रथम पूज्य गणनायक त्रिनेत्र गणेश मंदिर, आदि राजस्थान की गौरव गाथा का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है। यहाँ प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण रणथम्भौर, नेशनल पार्क देखने के लिए आते है। यहाँ की मनमोहक छटा को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते है।

जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर दौसा लालसोट मेगां हाईवे की पहाड़ी की तलहटी में स्थित ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनपुरा अपनी ज्ञान गंगा से राजस्थान के कोने-कोने को प्रकाशित कर रहा है।

इस अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुलय क्षेत्र में महिला शिक्षा की विचारणीय स्थिति को देखकर समाज सेवी शिक्षाविद् पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती जसकौर मीना ने महिला विकास के लिए, उनके स्तर को ऊँचा उठानें के व समाज में महिलाओं को आदर सम्मान दिलाने का संकल्प पूर्ण किया है।

सत्र 1993-94 में उन्होनें समाज के सहयोगी बन्धुओं से मिलकर ग्रामीण महिला विद्यापीठ, मैनपुरा की नींव डाली। उनके अथक प्रयास और लगन के कारण यह शिक्षा वटवृक्ष अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान है। जिसकी जडें सम्पूर्ण भारत में फेल रही है। यहाँ ग्रामीण महिला उच्च माध्यमिक विद्यापीठ, बालाजी महिला महाविद्यालय, महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बालिकाओं के विकास के लिए वरदान साबित हो रहा है।

संस्था में करीब 1100 बालिकाऐं है। जो राजस्थान तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों से आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही है।

एस.टी. की छात्राओं को डी.आर.डी.ए. की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति भी मिलती है।

महाविद्यालय श्रेष्ठ व्यवस्था एवं श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की दृष्टि से स्थानीय उच्च शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। कॉलेज में छात्राओं की अध्यापन व्यवस्था विद्वान प्रवक्ताओं द्वारा की जाती है। आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यालय, गुरूजन एवं प्राचार्य तथा महाविद्यालय प्रबंधक सतत् तत्पर है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करते है।

हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी छात्रा शिक्षा से वंचित ना हो तथा संस्था में प्रवेश लेकर अपना उज्ज्वल भविष्य बनाये।

संस्थापिका की कलम से

मेरी प्रिय बेटियों (छात्राएं) और सम्मान के धनी मेरे सहयोगियों, आप सभी के प्रेरणामय सहयोग ने बालिका शिक्षा के विस्तार का संकल्प मुझसे करवाया है। उसकी परिणती में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कला संकाय में महाविद्यालय संचालित है। अत्यंत पिछड़ें क्षेत्र की बालिकाओं के लिए यह सुखद स्थिति आप सभी छात्राएं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण कर यशस्वी बनें यह भावना मनमानस में रखते हुए आप सभी से अपील करती हूँ कि भारतीय संस्कृति की रक्षार्थ ज्ञान कवच धारण करने हेतु महाविद्यालय संचालन में सहयोग करें।

मनुष्य पुरातन परम्परा प्रिय है, अनुकरणशिल है,
किन्तु यदि वह नया पग उठाये तो
अपने अन्तर से ही नया सूर्य पैदा कर सकता है
अनुगामी न बनकर अग्रणी बनने की क्षमता रखता है
यह भाव ऋग्वेद के इस उद्धरण से और स्पष्ट हो जाते है।
अनुप्रत्नाश आयवः पदं नवीयो।
अक्रमुःरूचेजनन्त सूर्यम्।। "ऋग्वेद"

अपने सूर्य आप बन जाओं
तुम हो दिव्य शक्ति के स्वामी।
बनो अग्रणी, नही अनुगामी
अपने ही अनुभव के बल पर
नये सृजन आधार बनाओं
निर्माता हो तुम निज पथ के
स्वयं विधाता हो तुम निज के
है अनन्त क्षमता मानव की
अन्तर में विश्वास जगाओ
चलो ना मिटते पथ चिह्नों पर
रूकों ना विघ्नों बाधाओं पर

संस्थापिका
श्रीमती जसकौर मीना

प्राचार्य की कलम से

प्रिय छात्राओं,

बालाजी महिला महाविद्यालय के नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारम्भ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने ज्ञानार्जन हेतु इस महाविद्यालय को चुना है यह आपका विवेकपूर्ण निर्णय, आपके उज्जवल भविष्य के पथ को सर्वांगीण विकास से आलोकित करेगा। यह हमारा सौभाग्य है। देश में कितने छात्र-छात्राएँ है जो अपने मन में कल्पनाएँ संजोते है कि हम कॉलेज में अध्ययन करें। वह भी ग्रामीण क्षेत्र से और वह भी जनजाति की छात्राएँ, बहुत ही भाग्यशाली है, आप जिनको यह सौभाग्य मिला है।

मै आपका इस बालाजी महिला महाविद्यालय में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप इसका गौरव बढायेगी। महाविद्यालय का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना ही नहीं वरन् आपका सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करते हुए सम्पूर्ण संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना कर योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके।

इस महाविद्यालय से जहां आपकी अनेक अपेक्षाएँ होगी, वही महाविद्यालय भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप अपने आचरण, अनुशासन एवं महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप कार्य करें, इसका प्राकृतिक एवं शांत वातावरण आपको अपने गांव की याद दिलाता रहेगा। यह महाविद्यालय आपका है। और आप ही इसकी पहचान है, इसके साथ ही आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे परिवार के साथ शर्मिन्दगी में इसका भी नाम जुड़ जाऐ।

आप जीवन में कुछऐसा करें, जिससे आपका, आपके परिवार व महाविद्यालय का नाम रोशन हों, मै पुनः महाविद्यालय पररिसर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

डॉ. राजेश कुमार मीना
प्राचार्य
मो. 9413119910

सरस्वती वन्दना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ।।
तु स्वर की देवी है संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे ।।
मन से हमारे मिटा दे अंधेरा हमको उजाले का संसार दे माँ।। हे शारदे माँ .....
ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी।
हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का हमकों अधिकार दे माँ।। हे शारदे माँ .....
तू श्वेत वरणी कमल पर विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पर साजे।
हम है अकेले, हम है अधूरे। तेरी शरण में हमें तार दे माँ।। हे शारदे माँ.....

छात्राओं के विचार

1. हमारी माँ (संस्थपिका) का व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही अच्छा है।
2. हमारी वार्डन दीदी हमें बहुत अधिक प्यार करती है। तथा हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान करती है।
3. हमारे प्राचार्य महोदय तथा समस्त अध्यापकगणों का हमारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है।
4. हमारी हॉस्टल व कॉलेज की समस्त लड़कियाँ पूर्ण रूप से अनुशासन बनाये रखती है।
5. पढाई के क्षेत्र में हमारा कॉलेज बहुत आगे प्रगाति कर रहा है।
6. हम सब बहने आपस में मिलजुलकर रहते है तथा सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते है।
7. हमारे कॉलेज में समस्त विषयों के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे अंग्रेजी, रिजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान आदि कक्षाऐं भी लगती हैं
8. हमारा कॉलेज पढाई के साथ–साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत आगे है।
9. हमारा हॉस्टल व कॉलेज पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित है।
10. हमारी संस्थापिका (माँ) व प्राचार्य महोदय हमसे समय – समय पर हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते है तथा उनका निदान करते है।

अनुशासन

विद्यार्थी के के जीवन में अनुशीलन हेतु अनशासित होना अनिवार्य है। इसी से उसके जीवन एवं संस्था के गौरव में अभिवृद्धि होती है। इस महाविद्यालय की अक्षुण्ण कीर्ती को कर्तव्य परायण प्राचार्य गरिमायुक्त गुरूजन व वृद्धों ने अथक परिश्रम से बनाये रखा हैं। आपसे यही आशा की जाती है कि आप व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी संस्था की उज्ज्वल कीर्ति कलंकित हो।

अतः प्रत्येक विद्यार्थी अधोलिखित आचरण बिनदुओं को निष्ठा पूर्वक अपनायेगा–

1. परस्पर संयोजन एवं सम्मान के साथ आचरण करें।
2. कक्षा में शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखें।
3. कुर्सी – मेज के रखरखाव का विशेष ध्यान रखें। फर्नीचर को कमरों से बाहर ना निकाले याद रखें कोई भी टूट फूट आपकी सम्पत्ति की टूट–फूट होगी।
4. व्याख्यान् काल में कक्षा में आपस में बातचीत ना करें एवं किसी छात्र को बाहर बुलवाना व स्वयं बिना आज्ञा के कक्षा में प्रवेश करना अथवा बाहर जाना अशोभनीय है।

5. रिक्त कालांश में इकठ्ठे होकर शोर ना करें। खाली समय का सदुपयोग पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाऐं पढकर करें।
6. महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठियों में सोत्साह भाग ले व अच्छे श्रोता की भूमिका निभाऐं।
7. प्राचार्य कक्ष अथवा कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश निषेध है।
8. महाविद्यालय में मादक द्रव्यों का सेवन व रेगिंग दण्डनीय अपराध है।
9. शिक्षकों एवं महाविद्यालय कर्मचारियों के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करें
10. महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र साथ रखे।
11. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना निषेध है।
12. अपनी निर्धारित कक्षा में समय पर एवं नियमित रूप से उपस्थित हो।

महाविद्यालय में संचालित विषय

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर निम्न विषयों के पाठ्यक्रम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।

स्नातक अनिवार्य विषय : सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, कम्प्यूटर शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, चित्रकला तथा निर्धारित विषय समूह मे से किसी एक विषय समूह का चयन करें।

नोट - प्रत्येक विषय में 20 विद्यार्थी होना आवश्यक है। इसके अभाव में विद्यार्थी को विषय परिवर्तन करना होगा।

पाठ्योंत्तर गतिविधियाँ

राष्ट्रीय सेवा योजना – विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना एवं देश सेवा की भावनाओं का विकास करने व परिश्रम के प्रति निष्ठा जागृत करने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग भावना विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई समय– समय पर शिविर आयोजित करती है। इन शिविरों में सेवा आयोग के सदस्य ग्रामीणें के सेवा व अन्य विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते है। इस प्रकार एन.एस.एस. विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास करता है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में एक पुस्तकालय हैं, जिसमें लगभग 10,000 छात्रोपयोगी पुस्तकें है। पुस्तकालय ओपन शेल्फ पद्धति के अनुसार संचालित है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है। कि वे पुस्तकालय का पूरा लाभ उठायें, पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें दैनिक साप्ताहिक, त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएं आती है। पुस्तकालय एवं वाचनालय के नियम निम्न प्रकार है।

1. संदर्भ ग्रन्थों को घर ले जाने की अनुमति नही दी जायेगी। संदर्भ ग्रन्थों का अध्ययन केवल पुस्तकालय में ही किया जा सकेगा।
2. पुस्तकालय कार्ड पर विद्यार्थियों को पाठयपुस्तकें ही अध्ययन हेतु दी जा सकेगी। प्रश्न-पत्र, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष आवश्यकता अनुसार किसी भी समय विद्यार्थी को पुस्तक जमा कराने का आदेश दे सकता है।
4. पुस्तकालय में बिना परिचय-पत्र दिखाये प्रवेश निषेध होगा।
5. पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करें।
6. पुस्तकालय में शान्ति बनाये रखना एवं नियमो का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा। नियमो का उल्लंघन करने पर विद्यार्थी को पुस्तकालय से वंचित कर दिया जावेगा।
7. यदि किसी विद्यार्थी से पुस्तकालय कार्ड खो जाता है। तो उसे पुस्तकालयाध्यक्ष को यथाशीघ्र सूचना देनी होगी। नया कार्ड निर्धारित 10/- रूपये शुल्क जमा कराने के बाद ही दिया जा सकेगा।
8. पुस्तकालय से पुस्तके देते समय पुस्तक लौटाने की दिनांक अंकित की जाती है, अंकित तिथि के बाद पुस्तक वापसी पर एक रूपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक आर्थिक दण्ड देना होगा।
9. परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व पुस्तकालय की सभी पुस्तकें जमा करवाना आवश्यक है।

PROSPECTUS

आवश्यक सूचनाएँ

1. राज्य सरकार/आयुक्तालय/विश्वविद्यालय द्वारा नवीन आदेश से नियमों में अथवा कोई परिवर्तन किया जाता है तो वही मान्य होगा।
2. प्रवेश होने के तुरन्त बाद पहचान-पत्र अकादमिक शाखा से प्राप्त कर लें एवं महाविद्यालय में परिचय-पत्र सदैव साथ लावे।
3. महाविद्यालय में जमा करवाये जाने वाले मूल प्रमाण-पत्रों की फोटो कॉपी बनवाकर पहले ही अपने पास रखलें बाद मे प्रवेश आवेदन-पत्र से कोई प्रतिलिपि देय नही होगी।
4. महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर जमा कराये गये शुल्क की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। इसकी आवश्यकता अनेक स्थानों पर पड़ती है। जैसे - परिचय-पत्र, पुस्तकालय कार्ड बनवाना एवं अध्ययन की किश्तें जमा करवाते समय आदि।
5. महाविद्यालय परिसर में रेगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित एंव दण्डनीय अपराध है।
6. परिचय-पत्र पूर्णतया अहस्तान्तरणीय है यदि किसी विद्यार्थी का परिचय-पत्र खो जायें तो डुप्लीकेट प्रति बनवाने की व्यवस्था है। इसके लिए फीस 50/- है।
7. प्रत्येक विद्यार्थी का सत्रान्त में पुस्तकें, खेलकूद व अन्य सामान लौटा कर सम्बन्धित विभागों से अदेय प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
8. किसी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन भंग करने की स्थिति में उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय आर्डिनेस 88 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
9. विशेष चेतावनी:-

(क) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 1952 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने, इस काम के लिए उकसाने, परीक्षा ड्यूटी से संबंधित किसी भी व्यक्ति को डराने, धमकाने, पीटने, रोकने, ऐसा प्रयत्न करने या इसमें किसी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को अधिनियम धारा 6 अथवा 7 के अन्तर्गत 3 वर्ष तक की जेल या 2000 रूपये जुर्माना अथवा दोनो सजा एक साथ दिये जाने का प्रावधान है।

(ख) नकल के अपराधी को परीक्षा केन्द्र से ही पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा जो आपके और आपके परिवार के लिए अशोभनीय होगा। अत: इस अनैतिक कार्य से बचे।

महाविद्यालय शुल्क विवरण

बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

1. आवासीय छात्रा शुल्क		कुल फीस – 34,650/-
प्रथम किस्त	–	20,000/-
द्वितीय किस्त	–	14,650/-
2. गैर आवासीय शुल्क	–	कुल फीस – 8,650/-
प्रथम किस्त	–	5,000/-
द्वितीय किस्त	–	3,650/-

एम.ए. प्रीवियस एवं फाईनल

1. आवासीय छात्रा शुल्क		कुल फीस – 36,000/-
प्रथम किस्त	–	20,000/-
द्वितीय किस्त	–	16,000/-
2. गैर आवासीय शुल्क	–	कुल फीस – 10,000/-
प्रथम किस्त	–	5,000/-
द्वितीय किस्त	–	5,000/-

अन्य शुल्क व प्रवेश समिति

- T.C. & C.C. – Rs. 200/-

प्रायोगिक (Practical) विषयों में अतिरिक्त शुल्क देय होगा:-

- भूगोल – बी.ए. – 250/- एम.ए. – 200
- इतिहास – बी.ए. – 100/-
- अन्य – 50 (बीमा शुल्क)

(शैक्षणिक भ्रमण शुल्क 500/- अलग से देय होगा)